कार्यालय नगर परिषद फारबिसगंज

पत्रांक 280 /दिनांक 23.5.18

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फारबिसगंज

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना

विषय :– भारत के महानियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2007–08 की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 1036 दिनांक 14.05.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि नगर परिषद फारबिसगंज भारत के महानियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2007–08 की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समीक्षा हेतु सलग्न कर भेजी जाती है।

कृपया प्रतिवेदन स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फारबिसगंज

अंकक्षण प्रातवदन स0 685/2013–14 का अनुपालन प्रांतेवेदन

निकाय का नाम– नगर परिषद फारबिसंज,(अररिया) अंकेक्षण अवधि – 2009–10 से 2012–13

क्रं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
1	1	प्रस्तावना	–	–	
2	2	प्रशासन	–	–	
3	3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	–	–	
4	4	पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	–	–	
5	5	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणाम	संबंधित कंडिका में अनुपालन अंकित है।		
6	6	आंतरिक लेखा परीक्षा	समय समय पर लेखा का परीक्षण किया जाता है। नये बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अन्तर्गत नगरपालिका लेखा समिति का गठन किया गया है जिनके द्वारा लेखा की जॉच की व्यवस्था की गई है।		
7	7	बजट	भविष्य में सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में बजट तैयार किया जा रहा है। बजट में प्रावधानित राशि के अन्तर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बजट में आरम्भ शेष एवं प्राप्ति के योग पर व्यय आधारित होता है। इसलिये अन्तर हो जाता हैं इस पर निचंत्रण का प्रयास किया जा रहा है।		
8	8	आय–व्यय (लेखापाल रोकड़ बही)	(i) 1000/– अधिक जोड़ को सुधार लिया गया है।		
			(ii) आय–व्यय का शीर्षवार त्रैमासिक व वार्षिक सार तैयार किया गया है।		
			(iii) लेखाबही में निकासी को दोवार प्रविष्टि पर नियंत्रण रखा जा रहा है।		
			(I) समाधान विवरणी		

क्र0	काडका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
			(1) लेखापाल रोकड़बही एवं बैंक खाता में 19756.48 का अंतर नहीं है। मात्र 1000/– व्यय में अधिक जोड़, कम जमा 3714.00 एवं अधिक जमा 87.00 का अन्तर है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।		
			(II) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना		
			(1) –		
			(2) 507.20 ब्याज की वसूली हेतु भारतीय स्टेट बैंक को पत्राचार किया गया हैं		
			(3) लेखा वित्त आयोग अनुदानः– अब मात्र बैंक खाता ही संधारित है।		
			(4) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान –		
			(5) कबीर अन्तेष्ठि अनुदान –		
			(6) डी0एफ0आई0डी0 –		
9	9 (i)	अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले वर्ष के अंकेक्षण में दिखा दिया गया है।		
	9 (ii)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	प्राप्त अनुदान एवं व्यय के पश्चात योजना बन्द होने के कारण शेष अनुदान तथा अर्जित ब्याज संबंधित शीर्ष मेंजमा कर दिया गया है। अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। साक्ष्य के रूप में चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न– अनु0 01		
	9 (iii)	अनुदान का अवरोधन	31.03.13 को शेष अनुदान की राशि को व्य कम कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	9 (iv)	द्वादश वित्त आयोग	इस योजना की शेष राशि सरकार के समेकित निधि में जमा किया जा रहा है।		
	9 (v)	डी0एफ0आई0डी0 (स्पर) से अनुदान	किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को भेजा गया है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		

	संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	9 (vi)	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अनुदान	इस योजना की अव्यवहृत अवशेष राशि सरकार के समेकित निधि में जमा किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
	9 (vii)	तेरहवॉ वित्त आयोग अनुदान	इस योजना की अव्यवहृत अवशेष राशि सरकार के समेकित निधि में जमा किया जा रहा है। अब मात्र बैंक खाता है। बेंक खाता की राशि व्यय कर शेष राशि समेकित निधि में पुनः जमा की जायगी। 2011–12 में व्ययगत राशि 39.66 लाख रूपया का आवंटन पुनः वापस नहीं प्राप्त है। उपयोगिता प्रमाण पत्र को सुधार कर पुनः उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।		
	9 (viii)	सड़क निर्माण अनुदान	सड़क निर्माण के लिये प्राप्त अनुदान तथा व्यय के बाद अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजते हुये अव्यवहृत राशि सरकार के समेकित निधि मेंजमा किया जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	9 (ix)	नाला निर्माण	नाला निर्माण के लिये प्राप्त अनुदान तथा व्यय के बाद अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजते हुये अव्यवहृत राशि सरकार के समेकित निधि में जमा किया जा रहा है।		

क्रं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	10 क (1)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	(i) 2009 से 2011 के बीच इस मद में प्राप्त 3982530 तथा पूर्व के शेष राशि के विरूद्ध योग्य एन0जी0ओ0 को प्रषिक्षण का आदेष दिया गया था। निविदा इसलिये प्रकाशित नहीं किया गया था कि प्रशिक्षण का दर मात्र 2000/– ही निर्धारित था। एन0जी0ओ0 द्वारा कार्य आवंटन का अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में एवं अन्य निकायों में किये गये कार्य के आधार पर किया गया था।		
			(ii) वर्ष 2012 में नये सिरे से प्रशिक्षण एवं अनय कार्य के लिये 75 लाख रू0 आवंटन देते हुये अनुमोदित एन0जी0ओ0 की सूची भेजी गई थी। अनुमोदित सूची में अंकित चार एन0जी0ओ0 को ही कार्यदेश दिया गया था। कार्यादेश एन0जी0ओ0 सरकार के मानक के अनुसार शर्त्त पूरा करने का लिखित बचन दिये थे तथा सभी के क्षरा एकरारनामा किया गया था। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एन0जी0ओ0 ही प्रशिक्षण का कार्य किये है। जनक्लयाण भारती द्वारा पुराने दरा 2000/– प्रति प्रषिक्षणार्थी प्रषिक्षण दिया गया था। इसलिये अन्य मद की अव्यपहृत राशि से प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया गया। प्रशिक्षण का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी किया गया था। एन0जी0ओ0 द्वारा अंतिम अभिश्रव देने के समय प्रस्तुत किया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। 10 बिन्दु के जॉचोपरान्त प्रशिक्षण का आदेश दिया गया। सभी कारवाई अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		

	संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	10 ख	एस0जे0एस0आर0वाई0 की राशि का विचलन– 10.32 लाख	विचलन की राशि जमा की जा रही है।		
	11	नहीं/कम जमा	(i) नही जमा/कम जमा राशि 84749.00 के विरूद्ध जमा 84499.00 के बाद शेष 250/– विविध रसीद सं0 3789 दि0 22.05.18 द्वारा नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया है।		
			(ii) विविध रसीदों के माध्यम से वसूली राशि 502309.00 के विरूद्ध जमा 321149.00 के बाद शेष राशि 241160.00 निम्न प्रकार जमा किया गया।		
			क्र0 जिम्मेवार व्यक्ति चालान सं0 राशि 01 रावणेश्वर प्रसाद 113/22.10.12 3080.00 02 तदैव 3790/22.05.18 592.00 03 तदैव 47/29.05.13 16105.00 04 तदैव 48/29.05.13 41595.00 05 तदैव 43/29.05.13 32470.00 06 तदैव 60261/06.06.13 75045.00 .... 168887.00 शेष राशि वसूली योग्य राशि – 72273.00 .... 241160.00 शेष राशि जॉचोपरान्त जमा करा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	12	गृह कर	गृह कर वसूली का गई है जिसे अगले अंकेक्षण में देखा गया है।		

क्र0	कोडका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	13	टावरों पर बकाया	टावरों पर बकाया राशि की प्रतिवर्ष यथासंभव वसूल की जाती है।		
	14	दुकानों का मांग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं	मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया गया अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	15 (1)	वसूली रसीदों को रक्षीकरण सक्षम पदाधिकारी से सत्यापित नहीं	निर्देश का पालन किया जा रहा है।		
	15 (2)	विविध रसीद का संधारण संदेहास्पद	विविध रसीद पर कटिंग ओवर राईटिंग का साक्ष्य अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	16	किराया वसूली	2009–10 से 2012–13 तक का कुल मांग एवं वसूली एवं अवशेष विवरण अगले अंकेक्षण के समक्ष दिखया गया है।		
	17 (1)	सैरातो की बन्दोबस्ती	निबंधन शुल्क वसूली का परिपत्र नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य विभाग के परिपत्र की जानकारी नहीं होने के कारण वसूली नहीं हो पाई थी। तत्पश्चात निबंधन शुल्क वसूली का प्रयास तत्परतापूर्वक किया जा रहा है।		
	17 (2) (3)	रिक्शा एवं साईकिल निबंधन	इस मद के लिये डाक में कोई भाग नहीं लिया। विभागीय वसूली में कर्मचारी की कमी तथा विभागीय वसूली में अगर कर्मचारी का लगाया जाय तो वसूली से उनका वेतन अधिक होता है। इसलिये घाटा को देखते हुये विभागीय वसूली नहीं हो पाती है।		

	संख्या		अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	17 (4)	बधशाला	डाक की अपेक्षा विभागीय वसूली कम होना स्वाभाविक है जिसकी भरपाई नहीं पाती है। डाक लेने वाले व्यक्ति अपना मुनाफा का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करते ह। विभागयी वसूली मुनाफा पर आधारित नहीं होती। इसलिये राजस्व की हानि हो जाती है। फिर भी भविष्य में इसपर ध्यान दिया जायगा।		
	17 (5)	बस पड़ाव की बन्दोबस्ती	यह तथ्य सही है कि प्रतिवर्ष सुरक्षित जमा 10 प्रतिशत जोड़ का कर निर्धारित होता था। परन्तु भविष्य में इस प्रथा को बन्द कर प्रत्येक तीन वर्ष पर 15 प्रतिशत जोड़कर सुरक्षित जमा निर्धारित किया जाता है।		
	17 (6)	नगरपालिका बाजार (फैन्सी मार्केट)	नगरपालिका हाट की बन्दोवस्ती में किसी डाक वकत के भाग नहीं लेने के कारण विभागीय वसूली बाघ्य हो जाती हैं उाक लेने वाले वरूक्ति उाक की राशि के साथ अपना लाभांश भी वसूल करते है। परन्तु विभागीय वसूली लाभांश पर आधारित नहीं होती है। चूँकि विभागीय वसूली में हानि होना स्वाभाविक हो जाता है। फिर भी भविष्य में लक्ष्य के निर्धारण पर ध्यान दिया गया है।		

क्र0	कण्डिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	17 (7)	मवेशी हाट	मवेशीहाट का उाक 2012–13 के पूर्व आशा के विपरीत प्रतिस्पर्धा के चलते अधिक हो गया था। आगामी वर्षो में कोई भी व्यक्ति उाक में भाग नहीं ले रहे है। अभीतक कोई डाक नहीं लेता है। बाध्य होकर विभागीय वसूली करनी पड़ती है। विभागीय वसूली मुनाफा पर आधारित नहीं होता है। इसलिये सुरक्षित जमा में हानि होना स्वाभाविक है। मवेशी हाट की वसूली विभागीय होने के कारण मवेशी कारोवारी हाट में नहीं आकर दूसरे जगह चले जाते है। नगर परिषद मेंसीमित साधन के चलते मवेशी कारोवारी को घेर कर हाट में लाने का प्रयास विफल हो जाता है। इस कारण वसूली प्रभावित हो जाती है।		
	17 (8)	कालीपूजा मेला	काली पूजा मेला की बन्दोबस्ती के डाक में किसी के भाग नहीं लेने के कारण विभागीय वसूली करनी पड़ती है। मेला में दुकानदारों के आगमन पर राजस्व प्राप्त होता है। काली पूजा मेला प्रतिवर्ष कमजोर होते जा रहा है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण थियेटर, सर्कस, एवं अन्य खेल तमाषा के मेला में नहीं आने से राजस्व की प्रतिवर्ष हानि होती जा रही है। हो सकता है कि निकट भविष्य में मेला का आयोजन समाप्त भी हो जाय।		
	17 (9)	डाकवक्ता द्वारा 54400/– कम जमा किया जाना।	बकाया राशि की वसूली का प्रयास जारी है।		
	18	भुगतान का साक्ष्य नहीं	भुगतान का साक्ष्य अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		

	संख्या				
	19	निरर्थक व्यय	योजना संख्या 18/09–10 एवं 19/09–10 का कार्य स्थल सीताधार के किनारे था। बस पड़ाव की जमीन में पानी रहने के कारण चहारदीवारी का निर्माण कठिन था। इसलिये योजना का कार्य बन्द कर दिया गया। योजना की शेष राशि पंचायती राज विभाग के समेकित निधि में वापस दि0 31.03.18 को कर दिया गया है। जितना क्षेत्र में चहारदीवारी बनाई गई है वह उपयोगी है। योजना संख्या 01/11–12, 02/11–12 एवं 03/11–12 मुख्य नाला के निर्माण से संबंधित है। नाला का निर्माण किया गया तथा विवाद भी समाप्त कर लिया गया है। पानी का बहाव हो रहा है। संबंधित कागजात अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	20	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की राशि बिना लि योजना समिति के वयय 30.07 लाख	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना 2008–09 में प्रारंभ की गई तथा जिला योजना समिति भी कार्यरूप में आई। जिला योजना समिति आग्र–पीछे स्वीकृत भी हुई। परन्तु नई योजना होने के कारण जानकारी के अभाव एवं योना की अनुमोदित सूची उपलब्ध नही होने के कारण अंकेक्षण में स्वीकृत योजना सची को प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अनुमोदित/स्वीकृत योजना सूची को जिला परिषद से प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा। ऐसै यह योजना बन्द कर दी गई है। इस योजना की शेष राशि सरकार के समेकित निधि में दि0 31.03.18 को वापस जमा कर दिया गया है।		

	संख्या				
	21	योजनाओं के ओभरलैपिंग की संभावना 11.48 लाख	बस पडाव के तालाब समतलीकरण का कार्य में औभरलैपिंग पर सहायक अभियन्ता तथा कार्यपालक अभियन्ता का प्रतिवेदन का जिक्र अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा बनाये गये प्राक्कलन के आधार पर पोखर समतलीकरण में मिट्टी भराई कार्य कराया गया था। क्योंकि पोखर एवं धार एक था। पोखर की जमीन में मिट्टी इसलिये दिया गया ताकि धार में पानी आने से मिट्टी बहना कठिन था। बालू देने से धार के करेण्ट से बालू का क्षति निश्चित था। इसलिए तकनिकी पदाधिकारियों की सहमति एवं अनुभव पर एवं मिट्टी भराई का कार्य कराया गया।		
	22	बिना प्रशसनिक अनुमोदन का अनियमित व्यय 68.87 लाख	सडक एवं नाला निर्माण की योजनाओं को परिस्थिति वस स्थान परिवर्तन बोर्ड की बैठक के नियमानुसार किया गया था। स्थान परिवर्तन की स्वीकृति के लिए विभाग से अनुरोध किया गया तथा स्मार भी किया गया। परन्तु स्थान परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी परिवर्तित येाजनायें उपयोगी स्थान पर कार्यान्वित नहीं है। तथा सभी पूर्ण है। फिर भी अनियमित को नियमित करने के लिए सरकार से स्थान परिवर्तन की स्वकृति प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।		

	संख्या				
	23	बिना बोर्ड के अनुमोदन के अनियमित व्यय 4.65 लाख	13वी वित्त आयोग के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद से नाला सफाई का कार्य कराया गया थां। नाला सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संबंधित कार्य कराने को निर्णय सशक्त स्थाई समिति से निर्गत है। योजना की राशि का अनुमोदन सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	24	बिना प्राक्कलन तथा मापी के चापाकल गराई कार्य राशि 659985.00	नगर के क्षेत्र में नये चापाकल एंव पुराने चापाकल की मरम्मति कराने के लिए चापाकल की साम्रगी की आपूर्ति पूर्व से चली आ रही परंपरा के अनुसार ली जाती है। जिसेके लिए प्राक्कलन नहीं बनाया जाता रहा है। चापाकल साम्रगी आवश्यकतानुसार कोट्रसन प्राप्ति के आधार पर खरीद की जाती हे। खरीद साम्रगी चापाकलों की मरम्मति में एवं नये स्थानों पर गराई होती है। चापाकल गाड़ने उखाड़ने की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अगर प्राक्कलन तैयार कर चापाकल अधिष्ठापन या मरम्मति करना है, तो भविष्य में इसका पालन किया जाएगा।		

	संख्या				
	25	चापाकल का संदिग्ध अधिष्ठापन योजना संख्या 01/08–09	(1) विधायक की अनुसंशा एवं चयनित स्थान पर चापाकल का अधिष्ठापन कराया गया। वार्ड के क्षेत्रफल एंव आवश्यकता को ध्यान में रखतें हुए एंव वार्ड की आवादी के धनत्व को देखते हुए चापाकल अधिष्ठापन किया गया। (2) तकनीकी बिड का तुलनात्मक विवरणी तैयार था। जिसके आधार पर सश्क्त स्थायी समिति से निविदा स्वीकृत की गई थी। (3) चापाकल अधिष्ठापन का मापीपुस्त श्री विनोद कुमार सिंह कनीय अभियंता द्वारा तैयार किया गया था। उसी के द्वारा चापाकल भी गड़ाई का प्रतिवेदन दिया गया था। मापीपुस्त दर्ज एवं प्रतिवेदन में विरोधाभाष है। ऐसा लगता है, कि उन्होने भूल बस प्रतिवेदन यथाचित नहीं समर्पित किये। दूसरे कनीय अभिंयता डूडा के थें। जिन्हें यह कार्य आवंटित नहीं था। इसलिए उनका पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं था। चापाकल कार्य में विलम्ब का कार्य स्थान का चयन, विधायक की अनुशंसा चापाकल अधिष्ठापन में समय–समय पर उत्पन्न विवाद होता रहा। इसलिए 10 प्रतिशत भी विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गई। यह मामला बहुत पुराणा हो गया है। विभागीय जॉच में भी कठिनाई हो सकती है। अतः कंडिका को विलोपित करने का अनुरोध किया जाता है।		
	26	निरस्त			
	27	संदेहास्पद भुगतान	योजना संख्या 05/10–11 विभागीय की विभागीय जॉच करा कर अनुपालन अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	28	अनियमित भुगतान	सभी 07 विभागीय योजनाओं का अभिश्रव एंव मापीपुस्त उपलब्ध है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		

	संख्या				
	29	अनियमित भुगतान	11 योजनाओं में साम्रगी ढुलाई पर सवंदको से फार्म M एवं N प्राप्त करना था। योजनाओं में कम मात्रा में गिट्टी बालू का उपयेागा होता है। संवेदक अगर खदान के व्यापारियों से कम मात्रा में गिट्टी बालू लाते है, तो खर्च बढ़ता हैं एंव सेवेदकों को कठिनाई होती है। संवेदक अपनी लाचारी बताकर M एवं N प्राप्त की प्रथा को शिथिल करने का अनुरोध करते है। जबकि उनके विपत्रों से विहित रायल्टी की कटौती की गई है। इसमें राजस्व की हानि नहीं होने दिया जाता है।		
	30	निविदा पर कार्य की अनियमितता से	(1) निविदा की तकनीकी विद प्रत्येक योजना के लिये तैयार किया जाता हैं। PWD कोड के सुसंगत धाराओं को वोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 1928 के सुसंगत धाराओं के अनुसार Civil work विहित प्रपत्रों में योजना की कारवाई संपन्न की गई थी।		
	31	लॉग बुक का संधारण नहीं	सभी वाहनों के लिये लाग बुक का संधारण अलग–अलग किया गया था। प्राप्त अभिश्रव एवं अभिश्रव के विरूद्व प्रतिदिन खपत ईधन की जाँच कर भुगतान किया गया था। पुनः अगले अंकेक्षण में दिखाकर अंकेक्षण दल को दिखा कर संतुष्ट कर दिया जाएगा।		
	32	उपादान का भुगतान	संबंधित संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत था। समयाभाव केकारण अंकेक्षण दल द्वारा नहीं देखा जा सका। पुनः अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	33	विधिक कार्य पर व्यय	विधिक कार्य से संबंधित अभिलेख एंव कागजात अगले अंकेक्षण के दिखाया जायगा।		

क्रं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	34	दैनिक मजदूर का भुगतान	नगर परिषद् में स्वीकृत बल 1970 से 148 है। कलांतर में शहर की आवादी सड़कों एंव नालियों का विस्तार हुआ है। 1970 में वार्डी की संख्या 16 थी जबकि 2012–13 में वार्डी की संख्या 25 की गई है। राज्य सरकार द्वारा 20 नवम्बर 1999 से नियुक्ति पर प्रतिबंध है। प्रतिदिन कर्मचारियों की संख्या सेवा निवृति एवं मृत्यू के कारण कम होती जा रही है। नगर परिषद् के आम जनता के स्वास्थ्य सॅफाई एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी है। इसलिये मजबूरी मं संविदा एवं दैनिक मजदूरी पर रखकर शहर की सफाई एंव नाला की सफाई तथा समय–समय पर महत्वपूर्ण पर्व यथा इर्द ,बकरीद, होली, दिवाली, दशहरा तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सरकार के निर्देश पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। ये सब कार्य बिना के मजदूर के संभव नहीं है। इसलिये नियुक्ति पर सरकार प्रतिबध होने के कारण संविदा एवं दैनिक मजदूरी पर मजदूर रखकर जनता को सुविधा प्रदान की जाती है। जो समय एवं परिस्थिति का तकाजा है।		
	35	अग्रिम	अग्रिम की वसूली एंव समायोजन किया गया है। तथा समायोजन की कारवाई चल रहीं है। फलाफल से अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	36	कार्यालय से वार्तालाप			
	37	लेखा परीक्षा परिणाम			
	38	सामान्य अभियुक्ति	अभियुक्ति में दिये गये सुझाव का अनुपालन किया जायगा।		

23/05/18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् फारबिसगंज